अनुमति की शर्तें ।

(i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।

(ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।

(iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।

(iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिड़की व्यवसायिक कोर्नर टाइप डिजाइन अनुसार

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 716 दिनांक 16/09/2020

प्राधी (1) निरीन अरोड़ा एवं (2) श्रीमती भावना अरोड़ा ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 7001/- जमा जरिये रसीद संख्या 2069/5791, 5792 दिनांक 16/09/2020 को जमा करा दी है ।

व्यवसायिक टाइप डिजाइन अनुसार

P.No= 58 (व्यावसायिक) सरस्वती नगर इण्डस्ट्रीयल शॉपिंग सेन्टर

17/9/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

17/9/2020

9811224789